राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प 5 (8)नविवि/99 जयपुर दिनांक 30.08.2001

आदेश

राजस्थान विधियां (संशोधन), अधिनियम 1999 के लागू होने के पश्चात कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ नियमितिकरण के अधिकार सम्बन्धित स्थानीय निकायों एवं नगर विकास न्यासों के प्रदत्त किये गये थे। कृषि भूमि के नियमन हेतु सरकार द्वारा निर्धारित नियमन शुल्क/हस्तान्तरण शुल्क आदि की राशि सम्बन्धित संस्था निजी निक्षेप खातें (Public Deposit Account) में जमा की जाती है। उक्त राजकीय राशि का उपयोग राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे।

राज्य सरकार के स्तर पर इस राशि के उपयोग के संबध में विस्तृत विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया है कि जमा की गई राशि व भविष्य में जमा होने वाली सम्पूर्ण राशि में से 60 प्रतिशत राशि का उपयोग संबधित संस्था द्वारा विकास कार्यो पर किया जावेगा, शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार के कोष में निम्न बजट मद में जमा कराया जावेगाः–

0029 – भू राजस्व
800 – अन्य प्राप्तियां
(007) – कृषि भूमि को आबादी भूमि में बदलने की फीस

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति क्रमांक 1663/निस/ वित्त मंत्री /01/दिनांक 24.07.01 से किया जाता है।

आज्ञा से,

उप शासन सचिव,

प्रतिलिपिः– निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव–प्रथम, मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. विशिष्ठ सहायक, वित्तमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. विशिष्ट सहायक, नगरीय विकास मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर

CTC

29/05/19

श्याम सुन्दर वर्मा
उपायुक्त
(संस्थान विकास एवं समन्वय)